

उ०प्र० सोशल आडिट संगठन
(सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत)

- **गवर्निंग बोर्ड** (मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन पदेन अध्यक्ष)
- **कार्यकारिणी समिति** (अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन पदेन सभापति)

संगठन के अधीन सोशल आडिट निदेशालय

निदेशक

- अपर निदेशक (सोशल आडिट)
- अपर निदेशक (वित्त)
- सोशल आडिट कन्सलटेन्ट
- संयुक्त आयुक्त / उपायुक्त, सो०आ०

जनपद स्तर पर—
जिला विकास अधिकारी

- जिला सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर
- ब्लाक सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर / ब्लाक संसाधन व्यक्ति (BRP)

विकास खण्ड स्तर पर ग्राम सभा में सोशल आडिट करने हेतु प्रति 10 गा०पं० पर एक 4 सदस्यीय सोशल आडिट टीम।